कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
दूरभाष :– 05966-220035 फैक्स :– 05966-220035 ई–मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 1685 /18सी. दिनांक, रानीखेत, 23/7/ 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :– भिकियासैन में नौगॉव हेतु नैकण गधेरे में पुल का निर्माण (प्रस्ताव सं. 10419/2015)।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 51/12–1(2) दिनांक 3.7.2015

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त पुल के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 3228/एफ.पी./यू.के./रोड/10419/2015 दिनांक 28.5.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1114/18सी. दिनांक 19.5.15 द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 जमा किये जाने हेतु वॉछित धनराशि से अवगत कराने हेतु आपको पत्र लिखा गया था, परन्तु वर्तमान समय तक आख्या प्राप्त नहीं हो पायी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कि एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :–पत्रानुसार।

21/7/15

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः 3228 /FP/UK/ROAD/10419/2015 दिनॉकःदेहरादूनः 08 मई, 2015

Diary No 2203
File No 78C
Date 18/5/15

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में नैकण गधेरे में पैदल पुल के निर्माण हेतु 0.009 हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– *राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 का पत्रांक 195/X-4-15/1(118)/2015* दिनांक 02–05–2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणं पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित कर आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार की पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित कर वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी।

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड़ शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय UTR नं0 भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।

5. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है कि जनपद–कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

7. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपरोक्त शर्तो के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मोटर मार्ग की 02 हार्ड कापी शीघ्र इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, तद्पश्चात उक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सम्भव हो पायेगी।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या /FP/UK/ROAD/10419/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा। **(संलग्नः–यथोपरि)**

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी